सेवा में

श्रीमान प्रबन्ध निदेशक
यूजेवीएन लिमिटेड,
उज्जवल, महारानी बाग,
जनरल महादेव सिंह रोड,
देहरादून -248006

(द्वारा उचित माध्यम)
अग्रिम प्रतिलिपि

पत्रांक:-[illegible]2/ पदोन्नति

दिनांक 03.06.2019

विषय:- विभाग द्वारा बिना किसी नियमावली के संविदा के कर्मचारियो को नियमितीकरण Junior Engineer (Civil) के पद पर एवं बिना किसी विज्ञप्ति लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर Junior Engineer (Civil) के पद पर नियुक्ति देने तथा पदोन्नति देने के सम्बन्ध में आपत्ति हेतु प्रत्यावेदन।

महोदय

निवेदन है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रार्थीगण आपको निम्नलिखित तथ्यो से अवगत कराना चाहता है कि:-

1. यह कि प्रार्थीगण उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (अब यूजेवीएन लिमिटेड) में लिये गये लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर सीधी भर्ती के अर्न्तगत वर्ष 2012 एवं वर्ष 2013 में नियुक्ति हुये थे।

2. यह कि आपके द्वारा वर्ष 2018 (पत्रांक 2863 यूजेवीएनएल/05/कार्मिक/अनु0-02/जी-16/ पीएफ दिनांक 28.03.2018) में सहायक अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम (Tentative) ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी जिसमें प्रार्थीगणो का नाम ना होने के कारण प्रार्थीगणो ने आपके समक्ष अनन्तिम (Tentative) ज्येष्ठता सूची में आपत्ति दर्ज की गई थी।

3. यह कि निगम द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम (Tentative) ज्येष्ठता सूची निगम स्तर पर पत्रांक 2863 यूजेवीएनएल/05/कार्मिक/अनु0-02/जी-16/ पीएफ दिनांक 28 मार्च 2018 को सहायक अभियन्ताओ (सिविल) की सूची निकाली गई तो प्रार्थीगणो के संज्ञान में आने के उपरान्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम

क्रमशः......2

Scanned by CamScanner

(Tentative) ज्येष्ठता सूची से पता चला की कम सख्या:- 01 से कम सख्या:- 07 तक के नाम कमशः (1) श्री राम सिंह (2) श्री शान्ति प्रसाद (3) श्री अरविन्द त्रिपाठी (4) श्री मुकेश कुमार (5) श्री जगदीश सिंह असवाल (6) श्री विपिन चन्द्रा (7) श्री महावीर सिंह नाथ की नियुक्तियाँ उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (अब यूजेवीएन लिमिटेड) में अवैध नियमो की प्रकिया से कराई गई कम सख्या:- (1) श्री राम सिंह (2) श्री शान्ति प्रसाद की नियुक्ति संविदा से नियमित की गई जबकि निगम में ऐसी कोई नियमावली अस्तित्व में नही थी जिससे संविदा से नियमिति किया जा सके तथा कम सख्या:- (3) श्री अरविन्द त्रिपाठी (4) श्री मुकेश कुमार (5) श्री जगदीश सिंह असवाल (6) श्री विपिन चन्द्रा (7) श्री महावीर सिंह नाथ तक के अवर अभियन्ताओ (सिविल) के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिखा है कि परीक्षा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा ली गई थी उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (अब यूजेवीएन लिमिटेड) ने परीक्षा नही ली कम सख्या:- (3) से (7) तक की नियुक्ति उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (अब यूजेवीएन लिमिटेड) में अवैध नियमो से की गई।

4. यह कि जब श्री हिमाशु सिंह नामक व्यक्ति द्वारा उक्त कम सख्या:- 01 से कम सख्या:- 07 तक की नियुक्ति के सम्बन्ध में सूचना के अधिकार अधिनिय- 2005 के अर्न्तगत आवेदन पत्र के अनुसार सूचना मांगी तो निगम के पत्रांक 391/यूजेवीएन लि0/कार्मिक/अनु- 01/05/RTI/विविध-38 (365) दिनांक 28.02.2019 के पत्र से यह पता चला कि उक्त कम सख्या:- 01 से कम सख्या:- 07 तक के सहायक अभियन्ताओ (सिविल) की नियुक्तियाँ ना तो निदेशक मण्डल में पास हुई और ना ही कोई प्रस्ताव शासन से अनुमोदित कराया गया इससे स्पष्ट होता है की कम सख्या:- 01 से कम सख्या:- 07 तक के सहायक अभियन्ताओ (सिविल) की नियुक्तियाँ अवैध नियमो से की गई।

कमशः....3

Scanned by CamScanner

5. यह कि उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2011 में इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड में संविदा कर्मी अवर अभियन्ता के पद पर नियमित कराने के सम्बन्ध में श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपनी नियुक्ति को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय **High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench** में याचिका सख्या:- 1226/2011 (S/S) दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय महोदय द्वारा याचिका को खारिज करते हुये कहा गया था कि:-

"Being appointed on contractual basis having no regularisation rules, the petitioners services cannot be regularised. The impugned order does not seem to suffer from any illegality".

6. यह कि प्रार्थीगणो के संज्ञान में यह तथ्य आया कि अनन्तिम (Tentative) ज्येष्ठता सूची दिनांक 28.03.2018 के कम सख्या:- (3) से (7) तक के सहायक अभियन्ताओ (सिविल) की नियुक्ति भी तब की गई जब उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० की अवर अभियन्ताओ (सिविल) की परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (अब यूजेवीएन लिमिटेड) में नियुक्ति दे दी गई जबकि उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (अब यूजेवीएन लिमिटेड) ने कोई विज्ञप्ति, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार नही कराई इससे स्पष्ट होता है की कम सख्या:- (3) से (7) तक के सहायक अभियन्ताओं (सिविल) की नियुक्ति अवैध हुई क्योकि अन्य विभाग के फेल हुए अभ्यर्थी उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (अब यूजेवीएन लिमिटेड) में बिना विज्ञप्ति, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के नियुक्ति कैसे दी जा सकती है।

7. यह कि प्रार्थीगण आपके संज्ञान में यह तथ्य भी लाना चाहता है कि वर्ष 2011 एवं 2012 में उपरोक्त अभियन्ताओं (सिविल) के सम्बन्ध में जो पदोन्नती के आदेश दिनांक 30.06.2011 एवं दिनांक 28.06.2012 को किये गये है उनमें भी घोर अनियमिताए की गई है क्योकि उक्त पदोन्नाती आदेश में अवैध नियुक्ति वाले अवर अभियन्ताओ (सिविल)

कमशः.....4

Scanned by CamScanner

को पदोन्नत नही किया जा सकता है तथा अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नती करने हेतु "The Uttar Pradesh State Electricity Board Assistant Engineers (Civil) Service Regulations, 1970" की नियमावली बनी है जो उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (अब यूजेवीएन लिमिटेड) में लागू है आपने पदोन्नती हेतु आदेश "The Uttar Pradesh State Electricity Board Assistant Engineers (Civil) Service Regulations, 1970" की नियमावली की प्रकिया को नही अपनाया गया।

8. यह कि "The Uttar Pradesh State Electricity Board Assistant Engineers (Civil) Service Regulations, 1970" की नियमावली में यह स्पष्ट लिखा है कि सहायक अभियन्ताओ (सिविल) के पदो को दो नियम से भरे जा सकते है प्रथम लिखित परीक्षा द्वारा द्वितीय पदोन्नति द्वारा यदि पदोन्नति द्वारा सहायक अभियन्ताओं (सिविल) के पद को भरा जायेगा तो "The Uttar Pradesh State Electricity Board Assistant Engineers (Civil) Service Regulations, 1970" के Appendix – B में स्पष्ट उल्लेख है के ऐसे अवर अभियन्ताओ (सिविल) को जो उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (अब यूजेवीएन लिमिटेड) में "Junior Engineer (Civil) who are confirmend on the post and have rendered at least 10 years of service in the cadre out of which 4 years service must be in the Selection Grade" केवल उन्ही अवर अभियन्ताओ (सिविल) को सहायक अभियन्ताओ (सिविल) पर पदोन्नत किया जा सकता है किन्तु विभाग में पदोन्नति आदेश दिनांक 30.06.2011 एवं दिनांक 28.06.2012 को पारित करते समय "The Uttar Pradesh State Electricity Board Assistant Engineers (Civil) Service Regulations, 1970" की नियमावली की प्रकिया को नजर अंदाज करते हुये अवैध अवर अभियन्ताओ (सिविल) की पदोन्नति की गई जो अवैध है।

कमशः....5

Sarika

Aman

Scanned by CamScanner

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थीगणो के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुये अवैध नियुक्तियो एवं पदोन्नति आदेश दिनांक 30.06.2011 एवं दिनांक 28.06.2012 (अनन्तिम (Tentative) ज्येष्ठता सूची के कम संख्या:- 01 से कम संख्या:- 07 तक) को निरस्त करते हुये प्रार्थीगणो को वर्ष 2016 से शिथिलीकरण (Relaxation) करते हुये पदोन्नति करने की कृपा करे अन्यथा प्रार्थीगण माननीय न्यायालय की शरण में जाने के लिये बाध्य हो जायेगा।

(Vijay Pant) Assistant Engineers (Civil)	(Avtar Singh) Assistant Engineers (Civil)
(Sarika Kuchhal) Assistant Engineers (Civil)	(Kuldeep Singh) Assistant Engineers (Civil)
(Arun Singh Tomar) Assistant Engineers (Civil)	(Nishant Mohan) Assistant Engineers (Civil)

MD OFFICE
UJVNL, DEHRADUN

OFFICE
UJVNL, DEHRADUN

Received
04/06/2019

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड
Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited
(An Uttarakhand Govt. Enterprise)

[illegible]
Corporate & Regd. Office
[illegible]
"Ujjwal", Maharani Bagh, GMS Road, Dehradun-248006
[illegible]
Phone- [illegible], FAX-[illegible]

[illegible]
Human Resource Department
[illegible]
"Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun-248001
[illegible]
Phone- [illegible], FAX-[illegible]

संख्या 1157 /कार्मिक/[illegible]/जे-13 दिनांक: 04 जनवरी, 2010

कार्यालय ज्ञापन

निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2736/कार्मिक/[illegible]/जे-13, दिनांक 31-03-2009 के द्वारा अवर अभियन्ता ([illegible]) की अनन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात वरिष्ठता सूची के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों के परिप्रेक्ष्य में अवर अभियन्ता ([illegible]) की स्थायी वरिष्ठता सूची एतद्द्वारा, निम्नानुसार घोषित की जाती है।

चयन वर्ष 2002-03

क्र. सं.	वरिष्ठता क्रमांक	नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि।	अवर अभि. के पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01	[illegible]	[illegible]	02.08.1981	–	24.08.2002	लघु जल विद्युत से अनुबन्ध से नियमित हुये है।
2	02	[illegible]	[illegible]	16.05.1984	–	28.08.2002	लघु जल विद्युत से अनुबन्ध से नियमित हुये है। (त्यागपत्र दिया)
3	03	[illegible]	[illegible]	07.07.1975	–	21.08.2002	लघु जल विद्युत से अनुबन्ध से नियमित हुये है।

चयन वर्ष 2003-04

क्र. सं.	वरिष्ठता क्रमांक	नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री	जन्म तिथि	अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि।	अवर अभि. के पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	04	[illegible]	[illegible]	12.10.1968	18.11.2002	18.11.2003	त्यागपत्र दिया
2	05	[illegible]	[illegible]	20.08.1973	20.11.2002	20.11.2003	–
3	06	[illegible]	[illegible]	03.07.1974	20.11.2002	20.11.2003	त्यागपत्र दिया
4	07	[illegible]	[illegible]	15.11.1965	20.11.2002	20.11.2003	–
5	08	[illegible]	[illegible]	08.08.1976	15.11.2002	15.11.2003	–
6	09	[illegible]	[illegible]	17.08.1979	14.11.2002	14.11.2003	–
7	10	[illegible]	[illegible]	10.08.1979	20.11.2002	20.11.2003	त्यागपत्र दिया
8	11	[illegible]	[illegible]	15.09.1978	27.11.2002	27.11.2003	त्यागपत्र दिया
9	12	[illegible]	[illegible]	02.04.1974	18.11.2002	18.11.2003	त्यागपत्र दिया
10	13	[illegible] ([illegible])	[illegible]	01.01.1961	18.11.2002	18.11.2003	–
11	14	[illegible] ([illegible])	[illegible]	14.11.1970	20.11.2002	20.11.2003	त्यागपत्र दिया

Scanned by CamScanner

(५)

कार्यालय महा प्रबन्धक,
उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0,
टी-30-32, यमुना कालोनी,
देहरादून।
(उत्तरांचल सरकार का उद्यम)

पत्रांक 246 / E-2 दिनांक 16-8-02

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्‌द्वारा श्री राम सिंह बिष्ट पुत्र श्री श्याम सिंह बिष्ट --- को उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 में कार्य ग्रहण करने की तिथि से रु0 (5300-150-8600) के वेतनमान तथा उस पर समय-समय पर अनुमन्य मंहगाई तथा अन्य भत्तों पर उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 के अधीन अवर अभियन्ता, के रिक्त पद पर अधोअंकित शर्तों के अधीन नियमित सेवा में अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाते हैं :-

1. अपने कार्यकाल में यदि उनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तब उस स्थिति में उनकी सेवायें 01 माह के नोटिस अथवा वेतन पर समाप्त की जा सकेंगी। निगम के अधीन नियुक्ति के मध्य वे समय-समय पर संशोधित उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 सामान्य सेवा नियमों व अपने संवर्ग के सेवा नियमों से नियंत्रित होंगे।
2. उन्हें प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी/अधिकारीगण के नियंत्रण में कार्य करना होगा तथा उनकी सेवायें उत्तरांचल में कहीं भी (पर्वतीय क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए) स्थानान्तरित की जा सकती हैं। यदि सेवाकाल में वे पर्वतीय क्षेत्र में तैनाती की दशा में वहाँ कार्य ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकार के समाप्त कर दी जायेंगी।
3. कर्मचारियों की आपसी वरिष्ठता सूची निगम में योगदान तिथि से भविष्य में मानी जायेगी।
4. निगम के अधीन सेवाकाल के मध्य उन्हें वे सभी कार्य करने होंगे, जो उनके पद के लिए निर्दिष्ट होंगे तथा उन्हें वे भी यथोचित कार्य करने होंगे जो उनके वरिष्ठ अधिकारी आदेशित करेंगे।

उपरोक्त सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत
दिनांक 19-मार्च-07 ... 68
... आर0टी0आई0 केस संख्या 298

-1-

Scanned by CamScanner

(26/26)

कार्यालय महा प्रबन्धक,
उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि०,
टी-30-32,यमुना कालोनी,
देहरादून।
(उत्तरांचल सरकार का उद्यम)

पत्रांक 245 / E-2 दिनांक 16-8-02

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्द्वारा श्री शान्ति प्रसाद पुत्र श्री विनोद कुमार — को उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि० में कार्य ग्रहण करने की तिथि से रू० (5300-150-8600) के वेतनमान तथा उस पर समय-समय पर अनुमन्य मंहगाई तथा अन्य भत्तों पर उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि० के अधीन अवर अभियन्ता, के रिक्त पद पर अधोअंकित शर्तों के अधीन नियमित सेवा में अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाते हैं :-

1. अपने कार्यकाल में यदि उनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तब उस स्थिति में उनकी सेवायें 01 माह के नोटिस अथवा वेतन पर समाप्त की जा सकेगी। निगम के अधीन नियुक्ति के मध्य वे समय-समय पर संशोधित उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि० सामान्य सेवा नियमों व अपने संवर्ग के सेवा नियमों से नियंत्रित होंगे।
2. उन्हें प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी/अधिकारीगण के नियंत्रण में कार्य करना होगा तथा उनकी सेवायें उत्तरांचल में कहीं भी (पर्वतीय क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए) स्थानान्तरित की जा सकती हैं। यदि सेवाकाल में वे पर्वतीय क्षेत्र में तैनाती की दशा में वहाँ कार्य ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकार के समाप्त कर दी जायेंगी।
3. कर्मचारियों की आपसी वरिष्ठता सूची निगम में योगदान तिथि से भविष्य में मानी जायेगी।
4. निगम के अधीन सेवाकाल के मध्य उन्हें वे सभी कार्य करने होंगे, जो उनके पद के लिए निर्दिष्ट होंगे तथा उन्हें वे भी यथोचित कार्य करने होंगे जो उनके वरिष्ठ अधिकारी आदेशित करेंगे।

उपरोक्त सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिनांक 19 अगस्त 07 को ... 48 ... द्वारा ... आर.टी.आई. केस संख्या..298

उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड
252–वसन्त विहार,फेस– II,
देहरादून ।

संख्या ६५५८/उजविनिलि/एचआर/जे–14   दिनांकः 28 अक्टूबर, 2002

विषयः उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 में अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) की नियुक्ति ।

पंजीकृत

श्री अरविन्द त्रिपाठी, रोल नं0 जे–21306,
पुत्र श्री बंशीधर त्रिपाठी, (६५५६)
ग्राम– केदार-बगर-(पीएबी)
पो0ओ0 पोखरी – नागनाथ
जिला– चमोली ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा ली गई लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 में अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) की नियुक्ति हेतु आपका चयन संलग्न सेवाशर्तो के अधीन किया गया है ।

2 आपका अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) के रूप में प्रशिक्षण, सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी तैनाती स्थल उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा ।

3 प्रशिक्षण में आप सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रणाधीन रहेंगे एवं आपके अग्रेत्तर प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निर्देश समय–समय पर महाप्रबन्धक(कार्मिक एवं औ0स0) उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 देहरादून द्वारा जारी किये जायेंगे।

4– कार्य ग्रहण करने के समय आपको निम्नलिखित प्रमाण–पत्र, घोषणा–पत्र एवं बन्ध–पत्र (यथावत निष्पादित)प्रस्तुत करने हैं ।

उपरोक्त सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिनांक.....माह.....वर्ष.....
को उपलब्ध करवायी जा रही है;
आर.टी.आई. केस संख्या.....

(I) प्रमाण–पत्र

(क) अन्तिम कालेज अथवा विश्वविद्यालय, जहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की हो के प्रधान अधिकारी अथवा अधिष्ठाता से प्राप्त अच्छे चाल–चलन एवं चरित्र का प्रमाण–पत्र ।

31

उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड
252—वसन्त विहार, फेस—II,
देहरादून ।

संख्या 5443 / उजविनिलि / एचआर / जे-14 — दिनांक: 29 अक्टूबर, 2002

विषय: उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 में अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) की नियुक्ति ।

पंजीकृत

श्री मुकेश कुमार, रोल नं0 जे— 41039,
पुत्र श्री रामरक्ष पाल गुप्ता, (5443)
ग्राम व पो0 सुल्तानपुर कुन्हारी,
हरिद्वार— 247 663

....

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा ली गई लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 में अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) की नियुक्ति हेतु आपका चयन संलग्न सेवाशर्तों के अधीन किया गया है ।

2 आपका अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) के रूप में प्रशिक्षण, सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी तैनाती स्थल उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा ।

3 प्रशिक्षण में आप सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रणाधीन रहेंगे एवं आपके अग्रेत्तर प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निर्देश समय—समय पर महाप्रबन्धक(कार्मिक एवं औ0स0) उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 देहरादून द्वारा जारी किये जायेंगे ।

4— कार्य ग्रहण करने के समय आपको निम्नलिखित प्रमाण—पत्र, घोषणा—पत्र एवं बन्ध—पत्र (यथावत् निष्पादित)प्रस्तुत करने हैं ।

उपरोक्त सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के [illegible]
दिनांक 19-07-18
को [illegible]
आर.टी.आई. केस संख्या 298

(1) प्रमाण—पत्र

(क) अन्तिम कालेज अथवा विश्वविद्यालय, जहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की हो के प्रधान अधिकारी अथवा अधिष्ठाता से प्राप्त अच्छे चाल—चलन एवं चरित्र का प्रमाण—पत्र ।

Scanned by CamScanner

(33) 50

उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड
252—वसन्त विहार,फेस— II,
देहरादून ।

संख्या 5545/उजविनिलि/एचआर/जे-14 दिनांक: 29 अक्टूबर, 2002

विषय: उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 में अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) की नियुक्ति ।

पंजीकृत

श्री जगदीश सिंह असवाल,
रोल नं0 जे– 11098 (5545)
पुत्र श्री दिवान सिंह असवाल,
असवाल भवन, चिलिया नौला,
पो0ऑ0 चिलियानौला,
अल्मोड़ा– 263 647

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा ली गई लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 में अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) की नियुक्ति हेतु आपका चयन संलग्न सेवाशर्तों के अधीन किया गया है ।

2 आपका अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) के रूप में प्रशिक्षण, सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी तैनाती स्थल उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा ।

3 प्रशिक्षण में आप सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रणाधीन रहेंगे एवं आपके अग्रेत्तर प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निर्देश समय–समय पर महाप्रबन्धक(कार्मिक एवं औ0स0) उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 देहरादून द्वारा जारी किये जायेंगे ।

4– कार्य ग्रहण करने के समय आपको निम्नलिखित प्रमाण [illegible] बन्ध–पत्र (यथावत् निष्पादित)प्रस्तुत करने हैं ।

उपरोक्त सूचना सूचना का अधिकार
अधिनियम-2005 के अन्तर्गत
दिनांक ... माह ... 08
को उपलब्ध कराई गई
आर0टी0आई0 केस संख्या ... 48

(I) प्रमाण–पत्र

(क) अन्तिम कालेज अथवा विश्वविद्यालय, जहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की हो के प्रधान अधिकारी अथवा अधिष्ठाता से प्राप्त अच्छे चाल–चलन एवं चरित्र का प्रमाण–पत्र ।

Scanned by CamScanner

(21)

उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड
252—वसन्त विहार,फेस—II,
देहरादून ।

संख्या 5547/उजविनिलि/एचआर/जे-14 दिनांकः 28 अक्टूबर, 2002

विषयः उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 में अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) की नियुक्ति ।

पंजीकृत

श्री विपिन चन्द्रा, रोल नं0 जे— 51013
ब्लाक—ई, टाइप—तृतीय,मकान नं0 10/2.
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल— 249 148
(5547)

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा ली गई लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 में अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) की नियुक्ति हेतु आपका चयन संलग्न सेवाशर्तों के अधीन किया गया है ।

2 आपका अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) के रूप में प्रशिक्षण, सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी तैनाती स्थल उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा ।

3 प्रशिक्षण में आप सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रणाधीन रहेंगे एव आपके अग्रेत्तर प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निर्देश समय—समय पर महाप्रबन्धक(कार्मिक एव औ0स0) उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 देहरादून द्वारा जारी किये जायेंगे।

4— कार्य ग्रहण करने के समय आपको निम्नलिखित प्रमाण—पत्र, घोषणा—पत्र एवं बन्ध—पत्र (यथावत् निष्पादित)प्रस्तुत करने हैं ।

(I) प्रमाण—पत्र

(क) अन्तिम कालेज अथवा विश्वविद्यालय, जहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की हो के प्रधान अधिकारी अथवा अधिष्ठाता से प्राप्त अच्छे चाल चलन एवं चरित्र का प्रमाण—पत्र ।

उपरोक्त सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिनांक 14 माह 07 वर्ष 18 को उपलब्ध करायी जा रही है। आर0टी0आई0 सेवा संख्या 298

Scanned by CamScanner

(43) (43)

उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड
252–वसन्त विहार,फेस–II,
देहरादून ।

संख्या /उजविनिलि/एचआर/जे-14 दिनांक 28 अक्टूबर, 2002

विषयः उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि० में अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) की नियुक्ति ।

पंजीकृत

श्री महावीर सिंह नाथ,रोल नं० जे– 21096
पुत्र श्री विक्रम सिंह नाथ, (5454)
ग्राम– डांग, पो०ओ० जोशियाड़ा,
जिला– उत्तरकाशी 249 193

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा ली गई लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 में अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) की नियुक्ति हेतु आपका चयन संलग्न सेवाशर्तों के अधीन किया गया है ।

2 आपका अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) के रूप में प्रशिक्षण, सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी तैनाती स्थल उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा ।

3 प्रशिक्षण में आप सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रणाधीन रहेंगे एवं आपके अग्रेत्तर प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निर्देश समय–समय पर महाप्रबन्धक(कार्मिक एवं औ०स०) उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 देहरादून द्वारा जारी किये जायेंगे।

4– कार्य ग्रहण करने के समय आपको निम्नलिखित प्रमाण–पत्र, घोषणा–पत्र एवं बन्ध–पत्र (यथावत् निष्पादित)प्रस्तुत करने हैं ।

उपरोक्त सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की अन्तर्गत दिनांक.......07......18 को उपलब्ध करायी जा रही है आर.टी.आई. केस संख्या.....298

(I) प्रमाण–पत्र

(क) अन्तिम कालेज अथवा विश्वविद्यालय, जहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की हो के प्रधान अधिकारी अथवा अधिष्ठाता से प्राप्त अच्छे चाल–चलन एवं चरित्र का प्रमाण–पत्र ।

Scanned by CamScanner

List of Selected candidates with Marks as submitted by Selection Committee for the Post of JE-2002

Junior Engineer, Civil
(Category - General)

S.No.	Roll No.	Name	Marks
1	J31062	ANAND MOHAN KANSAL	154.2
2	J41005	LALIT KUMAR GOEL	152
3	J31099	SANJEEV KUMAR	151.8
4	J41055	ATUL SHANDILYA	151
5	J51101	PRAMOD KUMAR DHYANI	148.8
6	J51201	KIRSHAN KUMAR SINGH BIST	147.8
7	J41087	NAVEEN KAUSHIK	146.6
8	J41054	DINESH MOHAN GUPTA	146.4
9	J31108	DEEP CHANDRA PANDEY	146
10	J41007	YAMUNA PRASAD	145.6
11	J21204	DINESH CHANDRA	145.2
12	J31165	HARENDRA SINGH NEGI	145
13	J41150	DHARMENDRA KUMAR	144.2

Junior Engineer, Civil
(Category - OBC)

14	J41110	PRADEEP KUMAR	142.6
15	J31105	SATNAM SINGH	141.8
16	J41027	RANVIR SINGH	136.2

Junior Engineer, Civil
(Category - SC)

17	J41086	RAVINDRA KUMAR	135
18	J41083	YUDDHVEER SINGH	125
19	J51021	NARENDRA SINGH	124.6
20	J41106	SURENDRA KUMAR	123

23/6

Scanned by CamScanner

(38)

यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून – 248001 (उत्तराखण्ड)

Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)

दूरभाष/Phone-0135-2530000/2530061/2530194/2530909/2531975 फैक्स/Fax-0135-2531343/2531846 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

पत्रांक: 467/यूजेवीएन लि0/कार्मिक/अनु0–01/05/RTI/विविध–38 (383) दिनॉक 13.03.2019

विषय:– श्री ए0एस0 तोमर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत मॉगी गयी सूचना के सम्बन्ध में।

श्री अशोक यादव,
लोक सूचना अधिकारी (मुख्यालय)
एवं वरिष्ठ प्रबन्धक(सूचना एवं प्रौद्योगिकी)
यूजेवीएन लिमिटेड, उज्जवल,
महारानी बाग' देहरादून।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 93/लो0सू0अ0(मुख्यालय)/यूजेवीएन लिमिटेड/संख्या –2405 दिनांक 12.02.2019 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा आवेदक Sri A.S. Tomar, H.No 17, Lane no.-2, Vijay Park Extension, Dehradun के आवेदन पत्र संख्या शून्य दिनांक 06.02.2019 की छायाप्रति संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना मांगी गयी है। जिसके सन्दर्भ में सूचना निम्नवत् है:–

बिन्दु संख्या 01 एवं 02

वांछित बिन्दु से सम्बन्धित सूचना पृष्ठ संख्या 01 से 09 पर उपलब्ध है।

बिन्दु संख्या 03

वांछित बिन्दु से सम्बन्धित सूचना पृष्ठ संख्या 10 से 16 पर उपलब्ध है।

बिन्दु संख्या 04

आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना प्रश्नवाचक है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत नही आता है। अतः आवेदक द्वारा मांगी गयी नियमावली इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।

बिन्दु संख्या 05

निगमीय कार्यालय ज्ञाप संख्या 2090 दिनांक 16.03.2010 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या 6656, दिनांक 11.07.2012 एवं संख्या– 6699, दिनांक 12.07.2012 की छायाप्रतियां पृष्ठ संख्या 17 से 26 पर उपलब्ध है।

बिन्दु संख्या 06

कार्यालय ज्ञाप संख्या –9065 दिनांक 18.12.2007 की छायाप्रति पृष्ठ संख्या 27 से 36 पर उपलब्ध है।

Scanned by CamScanner

बिन्दु संख्या 07

वर्तमान में अभियन्ता सेवा विनियमावली 1970 (यथासंशोधित) तथा निगमीय कार्यालय ज्ञाप संख्या–2090, दिनांक 16.03.2010 में निहित प्राविधानानुसार वांछित सूचना निम्नवत् है:–
नियमित अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता– 10 वर्ष।
सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता– 07 वर्ष।
संलग्नक:– यथोपरि।

(आशिष कुमार जैन)
उपमहाप्रबन्धक(कार्मिक)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को लोक सूचना अधिकारी(मुख्यालय),उज्जवल, देहरादून के उक्त पत्र के सन्दर्भ में आवेदक के आवेदन पत्र संख्या शून्य दिनांक 06.02.2019 की छायाप्रति संलग्न कर, सूचना के अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यू०जे०वी०एन लिमिटेड,उज्जवल, महारानी बाग, देहरादून।
2. निदेशक (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड,उज्जवल, महारानीबाग, देहरादून।

Scanned by CamScanner